राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.15 (36) 2024 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं–10955

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / ट्री / कार्य आयोजना एवं वन बदोबस्त राजस्थान जयपुर।
परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP राजस्थान, जयपुर।
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. / अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर।
समस्त मुख्य वन संरक्षकगण (प्रादेशिक एवं वन्यजीव)।
समस्त उप वन संरक्षकगण / भू–संरक्षण अधिकारी / कार्य आयोजना अधिकारी / वन बन्दोबस्त अधिकारी।

विषयः– विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्यकर्मियों की जांच के संबंध में ।
संदर्भः– अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी राजस्थान, जयपुर के क्रमांक 3946 दिनांक 30.08.2024 ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रो (प्रति संलग्न) की पालना में लेख है कि प्रमुख शासन सचिव कार्मिक (क–5 / भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 06.06.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये है–

"राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 05 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियॉ प्राप्त की गई है। अतः प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 05 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आन्तरिक कमेटी गठित कर यह जाँच कर लें कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोकसेवक दोनों एक ही व्यक्ति है। साथ ही भर्ती किये गये कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेजात एवं आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि की भी भली–भांति जॉच करवाई जाए। जाँच के उपरान्त जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचनाएँ संदिग्ध प्रकट हो, उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध करायी जाये।"

अतः आपके अधीन विगत 5 वर्षों मे अराजपत्रित संवर्ग के भर्ती राज्यकार्मिको के शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच संलग्न सूची अनुसार आन्तरिक कमेटी गठित करें (संलग्न प्रपत्र अनुसार)। उक्त कमेटी द्वारा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को 15 दिवस में (दिनांक 15.10.2024 तक) **ई–डाक के माध्यम से** SSO ID **RJTO202036023696** पर सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उक्तानुसार

भवदीया,

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.15 (36) 2024 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं–10955

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 30.08.2024 के क्रम में।
2. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004
फोन नं. 0141-2713810 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in
वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.: 10796955
30/9/24

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

आन्तरिक कमेटी गठन का प्रारूप

क्र.सं.	नाम कार्यालय	आन्तरिक कमेटी
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / ट्री / कार्य आयोजना एवं वन बदोबस्त राजस्थान जयपुर अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. / अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	1. उप वन संरक्षक, प्रशासन / आहरण एवं वितरण अधिकारी (उप वन संरक्षक, प्रशासन का पद ना होने पर) 2. वरिष्ठतम लेखाकर्मी 3. कार्मिक शाखा प्रभारी
2.	परियोजना निदेशक, RFBP-2 / RFBDP राजस्थान, जयपुर	1. उप परियोजना निदेशक (प्रशासन) कार्या॰ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना – II, जयपुर 2. वरिष्ठतम लेखाकर्मी 3. कार्मिक शाखा प्रभारी
3.	मुख्य वन संरक्षकगण कार्य आयोजना अधिकारी / वन बन्दोबस्त अधिकारी	1. उप वन संरक्षक, प्रशासन / आहरण एवं वितरण अधिकारी (उप वन संरक्षक, प्रशासन का पद ना होने पर) 2. वरिष्ठतम लेखाकर्मी 3. कार्मिक शाखा प्रभारी
4.	उप वन संरक्षकगण / भू–संरक्षण अधिकारी	1. उप वन संरक्षक / भू–संरक्षण अधिकारी 2. लेखाकर्मी 3. कार्मिक शाखा प्रभारी

Document certified by Shikha Mehra <shikhamehraifs@gmail.com>.

Digitally Signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :30-09-2024 01:16:46

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004
फोन नं. 0141-2713810 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in
वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

क्रम संख्या	राज्य कार्मिक का नाम	राज्य कार्मिक के पिता का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर	राज्य कार्मिक का स्थायी निवास (पूर्ण पता)	विज्ञप्ति जिसके क्रम में कार्मिक को नियुक्ति प्रदान की गई है (क्रमांक व दिनांक)	प्रथम नियुक्ति तिथि	प्रथम पदस्थापन स्थान (जहां कार्मिक द्वारा नियमित राज्यसेवा में प्रथम बार कार्यग्रहण किया गया है)	प्रथम पदस्थापन के दौरान कार्मिक के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया (हॉं / नहीं)	प्रथम पदस्थापन के दौरान कार्मिक द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया (हॉं / नहीं)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ऐम्पलाय आईडी	नियुक्ति आदेश में वर्णित कार्मिक व नियुक्त व्यक्ति एक ही है (हॉं / नहीं)	फर्जी / कूटरचित पाये गये दस्तावेज का विवरण (यदि कोई दस्तावेज फर्जी / कूटरचित नहीं पाया जाता है तो "नहीं" अंकित करें)	विवरण
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

(1103)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5/भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग

जयपुर, दिनांक: 06 JUN 2024

क्रमांक: प.10(16)का./क–5/भ.प्र./2024

GP-I

विषय:– विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्यकर्मियों की विभागों द्वारा आन्तरिक जाँच कराने हेतु।

ATS/506 26/06/24

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 05 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियाँ प्राप्त की गई हैं। अतः प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 05 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आन्तरिक कमेटी गठित कर यह जाँच कर लें कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोकसेवक दोनों एक ही व्यक्ति है। साथ ही भर्ती किये गये कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेजात एवं आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि की भी भली–भांति जाँच करवाई जाए। जाँच के उपरान्त जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचनाएँ संदिग्ध प्रकट हो, उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध करायी जाये।

6/6/24

(हिमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

Special Operations Group
Rajasthan, Jaipur

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)।
7. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
8. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

17-6-24

6/6/24

प्रमुख शासन सचिव

644
12/6/24